वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर की वित्त समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक–28.3.2022 को विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्तः–

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही–

1. प्रो0 डा0 निर्मला एस0 मौर्य — अध्यक्ष
   कुलपति

2. श्री राजकुमार शुक्ला (प्रतिनिधि,अपर मुख्य सचिव,वित्त) — सदस्य
   अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ
   पेंशन एवं कोषागार,
   वाराणसी परिक्षेत्र,वाराणसी।

3. डा0 ज्ञान प्रकाश वर्मा (प्रतिनिधि,अपर मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा) — सदस्य
   क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ0प्र0शासन,लखनऊ
   वाराणसी।

4. प्रो0जे0एन0मिश्रा, — सदस्य
   जे–6 सोनल अपार्टमेन्ट,
   जार्ज टाउन, इलाहाबाद–211002

5. श्री महेन्द्र कुमार — सदस्य
   कुलसचिव

6. श्री व्यास नारायण सिंह — सदस्य
   परीक्ष नियंत्रक

7. संजयकुमार राय — सदस्य/सचिव
   वित्त अधिकारी

निर्धारित कार्य सूची के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।

प्रस्ताव सं0–1

दिनांक–5.7.2021 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या समिति अनुपालन आख्या से संज्ञानित हुई।

प्रस्ताव सं0–02

दिनांक–5.7.2021 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त के पुष्टि पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं0–03

वित्तीय वर्ष 2020–21 के आर्थिक चिठ्ठा (बैलेंस सीट) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से वित्तीय वर्ष 2020–21 के आर्थिक चिठ्ठा (बैलेंस सीट) के अनुमोदन की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–04
वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुमानित आय–व्ययक के अनुमोदन की संस्तुति की गयी तथा विभिन्न मदों में व्ययधिक्य होने पर पूर्व की भॉति पुनर्विनियोजन का अधिकार कुलपति को अधिकृत किये जाने के निर्णय को पुनः भविष्य हेतु अंगीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–05
राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क पर विचार।

समिति द्वारा सर्व सम्मति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर (बी0ए0, बी0एस–सी0 एवं बी0काम0) कार्य परिषद की बैठक दिनांक–25.10.2021 के कार्यसूची सं0–07 में प्रथम सेमेस्टर में रू0 1150.00 प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया। सेमेस्टर परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त छात्रों से निम्न शुल्क लिये जाने की भी संस्तुति की गयीः–

1.नामांकन शुल्क रू0 200.00, (पूर्व से शुल्क लिया जा रहा है)
2.क्रीड़ा शुल्क रू0 40.00 प्रतिछात्र (पूर्व से शुल्क लिया जा रहा है)
3.रोवर्स/रेंजर्स शुल्क रू0 8.00 प्रतिछात्र (पूर्व से शुल्क लियाजा रहा है)

समिति द्वारा सर्व सम्मति से उक्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव सं0–06

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर परिसर में संचालित बी0एस–सी0 (आनर्स) बायोटैक्नालॉजी पाठ्यक्रम में लिये जाने वाले परीक्षा शुल्क पर विचार।

निर्णय

विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक सत्र 2021–22 से संचालित बी0एस–सी0 (आनर्स) बायोटैक्नालॉजी पाठ्यक्रम के लिये वित्त समिति की संस्तुति की प्रत्याशा में निम्नवत शुल्क निर्धारित किया गया :–

क्र0सं0	मद	मद
1-	शिक्षण शुल्क(वार्षिक)	10,000.00
2-	नामांकन शुल्क(प्रथम वर्ष)	200.00
3-	उपाधि शुल्क(अतिम वर्ष)	200.00
4-	छात्र कल्याण शुल्क	100.00
5-.	क्रीड़ा शुल्क	150.00
6-	रोवर्स/रेंजर्स शुल्क	24-00
		10,674-00

समिति द्वारा सर्व सम्मति से उक्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की गयी।

<u>प्रस्ताव –07</u>

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित बी0एस–सी0 (आनर्स), बी0एस–सी0, बी0काम, बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु सेमेस्टर परीक्षा शुल्क निर्धारित किये जाने पर विचार।

निर्णय

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के लिये वित्त समिति की संस्तुति की प्रत्याशा में रू0 1750.00 प्रति सेमेस्टर (रु0 3500.00 वार्षिक) परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया। समिति द्वारा सर्व सम्मति से उक्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की गयी।

<u>प्रस्ताव सं0–08</u>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्राविधानों के अनुसार प्रश्नपत्र तैयार करने के लिये पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक–4.8.2015 में प्रस्ताव सं0–05 में लिए गये निर्णय के अनुसार:–

1.	प्रति प्रश्न एकल भाषा	रू0 50.00
2.	द्विभाषीय प्रति प्रश्नपत्र	रू0 75.00 **(50+25=75)**

समिति द्वारा सर्व सम्मति से उक्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की गयी।

<u>प्रस्ताव सं0–09</u>

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों मे संविदा पर कार्यरत शिक्षकों के मानदेय/पारिश्रमिक वृद्धि पर विचार।

<u>**निर्णय**</u>

समिति द्वारा सर्व सम्मति से दिनांक–01.01..2022 से भुगतान की संस्तुति के साथ ही संविदा शिक्षकों के मानदेय/पारिश्रमिक में निम्नानुसार वृद्धि की संस्तुति की गयी:–

(1) नयी संविदा शिक्षक की नियुक्ति होने पर रू0 40,000/–प्रतिमाह मानदेय/पारिश्रमिक

(2) (क) 3 से 5 वर्ष की सीमा तक के संविदा शिक्षकों को रु0 44,000/–प्रतिमाह मानदेय/पारिश्रमिक

(ख) 5 से 10 वर्ष की सीमा तक के संविदा शिक्षकों को रू0 48,000/प्रतिमाह मानदेय/पारिश्रमिक

(ग) 10 से 15 वर्ष की सीमा तक के संविदा शिक्षकों को रू0 52,000/–प्रतिमाह मानदेय/पारिश्रमिक

(घ) 15 वर्ष से अधिक सीमा तक के संविदा शिक्षकों को रू0 55,000/–प्रतिमाह मानदेय/पारिश्रमिक

(3) आगामी मानदेय/पारिश्रमिक की वृद्धि तीन वर्ष के पश्चात जिसमें शोध प्रबंध प्रकाशित होने की शर्त को आधार माना जायेगा। जैसाकि समिति द्वारा संस्तुति की गयी है।

<u>प्रस्ताव सं0—10</u>

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर परिसर में प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भईया) भौतिकी विज्ञान अध्ययन व शोध संस्थान में संचालित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों के लिये आकस्मिक कार्यालयी व्यय हेतु स्थायी अग्रिम दिये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भईया) भौतिकी विज्ञान अध्ययन व शोध संस्थान में संचालित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों के लिए आकस्मिक कार्यालयी व्यय हेतु 5,000/— स्थायी अग्रिम दिये जाने की संस्तुति की गयी।

उक्त के अतिरिक्त वित्त समिति की बैठक दिनांक—5.7.2021 के कार्यवृत्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य बिन्दु सं0—05 में लिये गये निर्णय के अनुसारः—

समिति द्वारा सर्व सम्मति से वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव को कार्यालयी व्यय के लिए माह माह में अधिकतम रू0 5,000/— (पांच हजार) की धनराशि स्वीकृति किये जाने की संस्तुति की गयी।

समिति द्वारा सर्व सम्मति से उक्त निर्णय के क्रम में परीक्षा नियंत्रक को कार्यालयी व्यय के लिए एक माह में अधिकतम रू0 5,000/— (पांच हजार) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी।

<u>प्रस्ताव सं0—11</u>

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के उपरांत छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम छोड़ देने के पश्चात छात्रों द्वारा जमा शुल्क वापसी पर विचार।

<u>निर्णय</u>

समिति द्वारा सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रकिया के उपरांत प्रथम बार शुल्क जमा करने की तिथि निर्धारित हो जाने के पश्चात छात्र द्वारा शुल्क जमा कर दिया जाता है तो ऐसे छात्रों के शुल्क वापसी पर वित्त समिति की बैठक दिनांक—25.8.2020 के प्रस्ताव सं0—6 में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र यदि प्रवेश की अन्तिम तिथि तक शुल्क वापसी की मांग करते हैं तो 40 प्रतिशत की कटौती कर शुल्क वापस किया जायेगा। अन्तिम तिथि के उपरांत शुल्क वापस न किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रथम बार शुल्क जमा किये जाने की तिथि निर्धारित होने के बाद यदि शुल्क जमा करने की तिथि पुनः बढ़ायी जाती है तो ऐसे छात्रों का शुल्क वापस नहीं किये जाने की संस्तुति की गयी।

<u>प्रस्ताव सं0—12</u>

पीएच—डी0 शुल्क पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से संबंधित आंतरिक मदों के आवंटन हेतु कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव सं0–13
विश्वविद्यालय में कार्यरत विकलांग कर्मचारियों को विकलांग भत्ता नवीनतम शासनादेश के आधार पर दिये जाने पर विचार।

निर्णय
समिति द्वारा सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय में कार्यरत विकलांग कर्मचारियों को नवीनतम शासन के अनुसार शासनादेश सं–101 / 1326 / 65–1–2014–380 / 96, दिनांक–13.11.2014 एवं शासनादेश संख्या–06 / 2019 / जी–2:531 / दस–2019, दिनांक–22.8.2019 के कम में विकलांग भत्ता दिये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–14

ट्यूक्पि परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि धनराशि के सापेक्ष अधिक व्यय की गयी धनराशि रु0 48,69,747.00 विश्वविद्यालय कोष से प्रतिपूर्ति किये जाने पर विचार।

निर्णय
समिति द्वारा सर्व सम्मति से संबंधित प्रकरण के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाये जाने के लिए कुलपति को अधिकृत किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–15
उत्तर प्रदेश सरकारी आशुलिपिक सेवा संवर्ग नियमावली–2014, विश्वविद्यालय में कार्यरत आशुलिपिकों पर लागू किये जाने पर विचार।

निर्णय
समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव निरस्त करने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–16
विश्वविद्यालय के इन्क्यूवेटर कार्ययोजना हेतु रु0 25.00लाख (पच्चीस लाख) से निधि की स्थापना पर विचार।

निर्णय
समिति द्वारा सर्व सम्मति से धनराशि रु0 25.00 लाख (पच्चीस लाख) से निधि की स्थापना किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–17
विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के पाारिश्रमिक / मानदेय वृद्धि पर विचार।
निर्णय
समिति द्वारा सर्व सम्मति से निम्नानुसार पारिश्रमिक / मानदेय में वृद्धि की संस्तुति की गयीः–

क0सं0	पदनाम	मानदेय / पारिश्रमिक में वृद्धि की धनराशि
1.	उद्यान सुपरवाईजर	रू0 4,000.00
2.	संविदा चिकित्सक	रू0 4000.00
3.	संविदा तृतीय श्रेणी	रू0 4,000.00
4.	संविदा चतुर्थ श्रेणी	रु0 4,000.00
5.	संविदा वार्ड ब्वाय	रू0 4,000.00
6.	संविदा प्रयोगशाला परिचर	रू0 4,000.00

उपर्युक्त पारिश्रमिक / मानदेय की वृद्धि दिनांक–01.04.2022 से प्रभावी होगीं। उपरोक्त कार्मिकों के मानदेय / पारिश्रमिक में वृद्धि तीन वर्ष के पश्चात की जायेगी।

प्रस्ताव सं0–18

विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित विभिन्न छात्रावासों में कार्यरत वार्ड ब्वाय/वार्ड लेडी/माली/सफाई कर्मी कारपेंटर/इलेक्ट्रिशियन/प्लम्बर/सुपरवाईजर/लेखा संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारी आदि का पारिश्रमिक/ मानदेय वृद्धि पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से उपरोक्त संविदा कर्मियों के मानदेय/पारिश्रमिक में निम्नानुसार वृद्धि की संस्तुति की गयी।

श्रेणी	निर्धारित पारीश्रमिक	ई.पी.एफ कटौती.	हास्टल योगदान	1: (EDLI & Admn.ChargeS) हास्टल योगदान	पारिश्रमिक प्रति माह	ई.पी. एफ सहित प्रतिमाह
अकुशल (वार्ड ब्वाय/ वार्ड लेडी/ माली /सफाई कर्मी)	10894	1307	1307	109	9587	12310
अर्द्ध कुशल (कारपेंटर /इलेक्ट्रीशियन/ प्लंबर/ सुपरवाईजर, लेखा कार्य)	11982	1438	1438	120	10545	13540

उपर्युक्त पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान संबंधित छात्रावास मद से किया जायेगा तथा उक्त दरें दिनांक–01.04.2022 से प्रभावी होगीं।

प्रस्ताव सं0–19

विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित विभिन्न छात्रावासों के चीफ वार्डन/ वार्डन एवं कार्यालय प्रभारी का पारिश्रमिक/मानदेय वृद्धि पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व समिति से चीफ वार्डन, वार्डन एवं कार्यालय प्रभारी का पारिश्रमिक/मानदेय में (कन्वेंस भत्ता) निम्नानुसार वृद्धि की संस्तुति की गयी:–

1. चीफ वार्डन/प्राक्टर रू0 3,000.00 प्रतिमाह (कन्वेंस भत्ता)
2. वार्डन/सहा0प्राक्टर रू0 2,500.00 प्रतिमाह (कन्वेंस भत्ता)
3. कार्यालय सहायक रू0 2,000.00 प्रतिमाह (पारिश्रमिक/मानदेय)

उपर्युक्त पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान संबंधित छात्रावास मद से किया जायेगा तथा उक्त दरें दिनांक–01.04.2022 से प्रभावी होगीं।

अन्त में कुलसचिव के धन्यवाद देने के पश्चात बैठक समाप्त की गयी।

(संजय कुमार राय)
वित्त अधिकारी
सदस्य/सचिव

(प्रो0 निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति/अध्यक्ष